भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 50

भारी उद्योग विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		59.87	100.00	159.87	34.37	55.21	89.58	245.70	55.32	301.02
पूंजी		*71.13*	*400.00*	*471.13*	*65.63*	*585.70*	*651.33*	*160.30*	*400.00*	*560.30*
जोड़		**131.00**	**500.00**	**631.00**	**100.00**	**640.91**	**740.91**	**406.00**	**455.32**	**861.32**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	2.87	6.43	9.30	0.87	6.20	7.07	1.90	6.31	8.21
उद्योग										
इंजीनियरिंग उद्योग										
2. आटोमोटिव उद्योग का अनुसंधान और विकास	2852	47.00	25.00	72.00	29.00	25.00	54.00	181.00	25.00	206.00
3. भारत अर्थमूवर्स लि.	2852	...	...	...	...	...	...	56.00	...	56.00
4. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता										
4.01 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	2852	...	36.74	36.74	...	36.74	36.74	...	...	...
4.02 *घटाइए-*निवल प्राप्तियां	0852	...	...	...	...	-36.74	-36.74	...	...	...
	निवल	...	*36.74*	*36.74*	...	...	...	...	...	...
5. गारंटी शुल्क संबंधी सब्सिडी										
5.01 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	2852	...	2.57	2.57	...	2.56	2.56	...	2.53	2.53
5.02 भारत भारी उद्योग निगम लि.	2852	...	0.56	0.56	...	0.56	0.56	...	0.56	0.56
5.03 एच.एम.टी. लि.	2852	...	4.69	4.69	...	4.69	4.69	...	4.69	4.69
	जोड़	...	*7.82*	*7.82*	...	*7.81*	*7.81*	...	*7.78*	*7.78*
5,04 *घटाइए-*निवल प्राप्तियां	0852	...	...	...	...	-7.81	-7.81	...	-7.78	-7.78
	निवल	...	*7.82*	*7.82*	...	...	...	...	...	...
6. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बैंक वित्त पर ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2852	...	24.00	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00	24.00
7. ऋण को बट्टे खाते डालना										
7.01 एण्ड्रू यूल एंड कंपनी लि.	2852	...	...	...	...	2.95	2.95	...	...	...
7.02 *घटाइए-*निवल प्राप्तियां	0852	...	...	...	...	-2.95	-2.95	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. अन्य व्यय	2852	10.00	0.01	10.01	4.50	0.01	4.51	6.80	0.01	6.81
जोड़-उद्योग		**57.00**	**93.57**	**150.57**	**33.50**	**49.01**	**82.51**	**243.80**	**49.01**	**292.81**
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	4552	13.00	...	13.00	10.00	...	10.00	40.60	...	40.60
10. सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन के लिए एक मुश्त प्रावधान	6858	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
11. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण										
इंजीनियरिंग उद्योग										
11.01 एन्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लि.	6858	...	...	...	...	32.12	32.12	...	...	...
11.02 भारत यंत्र निगम लि.	6858	...	...	...	...	113.24	113.24	...	...	...
11.03 भारत भारी उद्योग निगम लि.	6858	...	...	...	...	14.53	14.53	...	...	...
11.04 प्रागा–टूल्स निगम लि.	6858	...	...	...	...	2.36	2.36	...	...	...
11.05 एच.एम.टी लि.	6858	...	...	...	...	69.54	69.54	...	...	...
11.06 स्वैच्छिक पृथक्करण योजना और सांविधिक बकायों के लिए एकमुश्त राशि	6858	...	250.00	250.00	...	192.70	192.70	...	250.00	250.00
11.07 नेशनल इन्सट्रूमेन्ट लि.	6858	...	...	...	...	2.87	2.87	...	...	...
11.08 हिन्दुस्तान केबल लि.	6858	...	...	...	...	45.53	45.53	...	...	...
11.09 भारत ओप्थाल्मिक ग्लाय लि.	6858	...	...	...	...	3.13	3.13	...	...	...
11.10 हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन लि.	6858	...	...	...	...	30.31	30.31	...	...	...
11.11 इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि. कोटा	6858	...	...	...	...	33.64	33.64	...	...	...
उपभोक्ता उद्योग										
11.12 हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	6860	...	...	...	...	0.54	0.54	...	...	...
11.13 नेपा लि.	6860	...	...	...	...	12.86	12.86	...	...	...
11.14 राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.	6885	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2005-2006 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
11.15 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पुनरुद्धार योजना के लिए एकमुश्त राशि	6854	...	150.00	150.00	...	17.72	17.72	...	150.00	150.00
11.16 सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	6854	...	...	...	...	11.55	11.55	...	...	...
11.17 हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनु. लि.	6860	...	...	...	...	3.06	3.06	...	...	...
जोड़ - सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण		**...**	**400.00**	**400.00**	**...**	**585.70**	**585.70**	**...**	**400.00**	**400.00**
12. सरकारी उद्यमों में निवेश	4854	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	12.50	...	12.50
	4858	21.71	...	21.71	20.46	...	20.46	56.80	...	56.80
	4860	2.32	...	2.32	2.32	...	2.32	3.97	...	3.97
	6854	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	1.50	...	1.50
	6858	21.73	...	21.73	20.48	...	20.48	39.93	...	39.93
	6860	2.36	...	2.36	2.36	...	2.36	4.00	...	4.00
	जोड़	*58.13*	*...*	*58.13*	*55.63*	*...*	*55.63*	*118.70*	*...*	*118.70*
कुल जोड़		***131.00***	***500.00***	***631.00***	***100.00***	***640.91***	***740.91***	***406.00***	***455.32***	***861.32***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
इंजीनियरिंग उद्योग										
12.01 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	12858	...	181.48	181.48	...	113.00	113.00	...	199.39	199.39
12.02 एच.एम.टी लि.	12858	11.02	...	11.02	11.02	...	11.02	28.57	...	28.57
12.03 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	12858	3.00	...	3.00	2.52	...	2.52	1.67	...	1.67
12.04 स्कूटर्स इंडिया लि.	12858	0.01	2.80	2.81	0.01	1.50	1.51	8.50	2.50	11.00
12.05 हिन्दुस्तान केबल्स लि.	12858	2.02	...	2.02	...	...	...	0.01	...	0.01
12.06 इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	12858	8.46	...	8.46	8.46	...	8.46	12.02	...	12.02
12.07 एन्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लि.	12858	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
12.08 प्रागा–टूल्स लि.	12858	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	3.00	1.50	4.50
12.09 भारत यंत्र निगम लि.	12858	3.04	10.00	13.04	3.04	...	3.04	3.06	...	3.06
12.10 भारत भारी उद्योग निगम लि.	12858	7.54	...	7.54	7.54	...	7.54	15.00	...	15.00
12.11 द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान	12858	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.12 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	12858	...	0.88	0.88	...	4.00	4.00	...	6.00	6.00
12.13 भारत अर्थ मूवर्स लि.	12858	...	...	...	...	...	...	16.90	...	16.90
12.14 राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स और इन्स्ट्रूमैंन्ट लि.	12858	...	...	...	...	...	...	...	26.48	26.48
12.15 टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	12858	...	...	...	...	...	...	...	5.62	5.62
जोड़-इंजीनियरिंग उद्योग		**43.44**	**195.16**	**238.60**	**40.94**	**118.50**	**159.44**	**96.73**	**241.49**	**338.22**
उपभोक्ता उद्योग										
12.16 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.	12860	0.01	58.52	58.53	0.01	63.90	63.91	0.01	128.30	128.31
12.17 हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट्स लि.	12860	...	...	...	...	...	...	...	29.08	29.08
12.18 नेपा लि.	12860	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
12.19 हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	12860	4.65	...	4.65	4.65	...	4.65	7.94	...	7.94
12.20 हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि.	12860	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़ - उपभोक्ता उद्योग		**4.68**	**58.52**	**63.20**	**4.68**	**63.90**	**68.58**	**7.97**	**157.38**	**165.35**
सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग										
12.21 सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	12854	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	3.00	...	3.00
12.22 सार्वजनिक उपक्रमों की सतत व्यवहार्यता के लिए निर्णायक संतुलनकारी निवेश	12854	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00
12.23 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में वृद्धि, संशोधन एवं प्रतिस्थापन	12854	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	7.00	...	7.00
जोड़		**58.13**	**253.68**	**311.81**	**55.63**	**182.40**	**238.03**	**118.70**	**398.87**	**517.57**
ग. आयोजना परिव्यय										
1. इंजीनियरिंग उद्योग	12858	103.31	195.16	298.47	75.31	118.50	193.81	343.43	241.49	584.92
2. उपभोक्ता उद्योग	12860	4.68	58.52	63.20	4.68	63.90	68.58	7.97	157.38	165.35
3. सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग	12854	10.01	...	10.01	10.01	...	10.01	14.00	...	14.00
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	13.00	...	13.00	10.00	...	10.00	40.60	...	40.60
जोड़		**131.00**	**253.68**	**384.68**	**100.00**	**182.40**	**282.40**	**406.00**	**398.87**	**804.87**

सं.50/भारी उद्योग विभाग

1. **सचिवालयः** इसमें भारी उद्योग विभाग के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. **आटोमेटिव उद्योगों का अनुसंधान व विकासः** इसमें ए.आर.ए.आई., पुणे, वी.आर.डी.ई., अहमदनगर और सी.आई.आर.टी., पुणे जैसे अनुसंधान संस्थानों में लगातार बदलते सुरक्षा मानकों और उत्सर्जन मानकों के अनुसार वाहनों का परीक्षण करने हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए डेवलपमेंट काउंसिल फार आटोमोबाइल और संबद्ध उद्योग को अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

3. **भारत अर्थ मूवर्स लि.**ः आर एंड डी विस्तार के लिये भारत अर्थ मूवर्स लि. जो रक्षा मंत्रालय के अधीन सरकारी उद्यम है को सहायता के लिए अनुदान आबंटन मुहैया कराती है।

5. **गारंटी शुल्क सब्सिडीः** इसमें भारत भारी उद्योग निगम लि., एच.एम.टी. लि., भारी इंजीनियरी निगम लि. के उनकी अनुमोदित पुनरुत्थान योजनाओं के एक भाग के रूप में, ब्याज आर्थिक सहायता की व्यवस्था है।

6. **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बैंक वित्त पर ब्याज सब्सिडीः** इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बैंक वित्त की व्यवस्था करने की एक स्कीम के तहत देय ब्याज सब्सिडी के लिए व्यवस्था है।

8. ***अन्य व्ययः*** इसमें द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, (एफ.सी.आर.आई.) आदि और कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को अनुदान प्रदान करने के लिए व्यवस्था है। प्रवाह मापन और नियंत्रण उपायों से संबंधित कार्य करने और भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रौद्योगिकी विकास और प्रवाह उत्पादों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 1987 में एक यू.एन.डी.पी. परियोजना के रूप में एफ.सी.आर.आई. की स्थापना की गई।

9. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधानः** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए व्यवस्था है।

10. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुर्नसंरचना के लिए एक मुश्त प्रावधानः** भारी उद्योग विभाग के तहत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पुर्नसंरचना के लिए एक मुश्त प्रावधान।

11. **सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋणः** इसमें घाटा देने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनके संसाधनों में अंतर को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए आयोजना-भिन्न ऋणों के लिए व्यवस्था है। इसमें वी.आर.एस./वी.एस.एस. के कार्यान्वयन और कर्मचारियों के सांविधिक बकायों में कमी के व्यय को वहन करने के लिए 250 करोड़ रुपए का एकमुश्त प्रावधान किया गया है। घाटा देने वाली सरकारी क्षेत्र की उपक्रमों की पुनर्सरंचना/पुनर्गठन पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए 150 करोड़ रुपए का अन्य एक मुश्त व्यवस्था है।

12. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेशः** इसमें ऋण और इक्विटी के लिए ज्यादातर 50:50 के अनुपात में बजटीय सहायता की व्यवस्था है जिससे विकास, विविधीकरण, गैर संकीर्णता, आधुनिकीकरण, नवीकरण और प्रतिस्थापन आदि स्कीमों को शुरू किया जा सके ताकि उनके कार्यनिष्पादन और व्यवहार्यता में सुधार हो सके।

12.01 **भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेडः** यह 1960 में स्थापित की गई थी। यह कम्पनी बिजली बोर्डो और अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि इस्पात, उर्वरक, धातुकर्म और खनिज उद्योगों के लिए विद्युत उत्पादक उपस्कर, पारेषण और ढुलाई उपस्करों के विनिर्माण, आपूर्ति, स्थापना और चालू करने का कार्य कर रही है। इसमें 14 विनिर्माण विभाग, 9 सेवा केन्द्र और 4 विद्युत क्षेत्र प्रादेशिक केन्द्र हैं। कम्पनी ने, भारत और विदेशों में टर्नकी आधार पर विद्युत केन्द्र सप्लाई की है।

12.02 **हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि.**ः इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। यह कम्पनी धीरे-धीरे एक बड़ी बहु-एकक और बहु-उत्पाद कम्पनी बन गई है जिसमें 16 एकक और 22 उत्पादक प्रभाग हैं जो देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। यह कम्पनी अति सूक्ष्म (हाई प्रिसिशन) मशीन टूल्स, मुद्रण मशीनरी, लैंप व लैंप बनाने की मशीनरी, ट्रैक्टर, हाथ की घड़ियों, होरोलोजिकल मशीनों और डेयरी मशीनरी के उत्पादन का कार्य कर रही है। एच.एम.टी. की चार अव्यवहार्य इकाईयों को बंद कर दिया गया है। बाद में, संगठनात्मक पुनर्सरंचना के रूप में इसके घड़ी, मशीन टूल्ज, बेयरिंग्स और अन्तर्राष्ट्रीय कारोबारी समूहों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों नामतः एचएमटी (वाचिस) लि., एचएमटी (मशीन टूल्ज) लि., एचएमटी (बेयरिंग्स) लि., एचएमटी (चिनार वाचिस) लि. और एचएमटी (इण्टरनेशनल) लि. में परिवर्तित कर दिया गया है।

12.03 **हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेडः** यह 1958 में संस्थापित की गई थी। इसमें तीन इंजीनियरी इकाईयां शामिल हैं - हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, दी हैवी मशीन टूल्स प्लांट और फाउन्डरी फोर्ज प्लांट। निगम इस्पात प्लांट उपस्कर, उत्खनन, प्लानिंग मशीन, बोरिंग मशीन और कास्टिंग और फोरजिंग का भी उत्पादन करता है। बी.आई.एफ.आर. ने एक पुनरुत्थान/पुनर्संरचनात्मक योजना की स्वीकृति प्रदान की, जो कार्यान्वित की गई लेकिन विफल हो गई। झारखण्ड सरकार के परामर्श से आगे और संरचना करने का प्रस्ताव किया गया है।

12.04 **स्कूटर्स इण्डिया लि.**ः इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। यह स्कूटर, तिपहिया स्कूटरों और पंखों का निर्माण कर रही है। बी.आई.एफ.आर. ने एक पुनरुत्थान/पुनर्संरचनात्मक योजना की स्वीकृति प्रदान की है। इसने लाभ दर्शाना आरम्भ कर दिया है और बी.आई.एफ.आर. की सीमा क्षेत्र से बाहर आ गई है।

12.05 **हिन्दुस्तान केबल्स लि.**ः 1952 में स्थापित की गई थी। यह कम्पनी भारत में आधुनिक दूर-संचार केबल्स के विनिर्माण का कार्य कर रही है। इनके तीन यूनिट हैं जो रूपनारायणपुर, हैदराबाद और इलाहाबाद में कार्यरत हैं। एक पुनर्गठन योजना कार्यान्वित की गई है। हिन्दुस्तान केबल्स लि. (एचसीएल) को विनिवेश मंत्रालय के विचारार्थ भेजा गया है क्योंकि विनिवेश हाल ही में भारी उद्योग विभाग को वापस कर दिया गया है।

12.06 **इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि. (आईएलके)**ः इसकी स्थापना, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि तापीय विद्युत संयंत्र, इस्पात संयंत्रों, उर्वरक संयंत्रों, तेल शोधक कारखानों और अन्य प्रक्रिया संयंत्रों को इन्स्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण प्रणालियां प्रदान करने में अधिकतम आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्च, 1964 में की गई थी। आईएलके को विनिवेश हेतु संदर्भित किया गया है।

12.07 **एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लि.**ः इसकी 1979 में स्थापना की गई थी। मुख्य रूप से विनिर्माण कार्यकलापों में संलग्न इस कम्पनी की इस समय आठ इकाईयां हैं जो औद्योगिक पंखे और चाय की मशीनें, एच.टी. और एल.टी. बिजली के उपस्कर, कान्ट्रेक्टर, ओवरलोड रिले, मोल्डेड केस सरकिट बेकर्स, विद्युत और वितरण ट्रांसफार्मर, स्विचगियर, कन्वेयर बैल्ट, फैन और वी. बैल्ट, वायु-प्रदुषण नियंत्रण उपस्कर का निर्माण और चाय उत्पादन का काम करती है। एक पुनसर्रचनात्मक योजना कार्यान्वित की गई है।

12.08 **प्राग टूल्स लि.**ः यह कम्पनी वर्ष 1988 से एच.एम.टी. की एक सहायक कम्पनी बन गई है। इसके तीन प्रभाग हैं, नामतः मशीन टूल्ज़ प्रभाग, भट्टी और संधानशाला (फोर्ज एण्ड फाऊण्डरी) प्रभाग तथा सी.एन.सी. प्रभाग। इस कम्पनी के मुख्य उत्पाद हैंः कटर एवं टूल्ज ग्राइंडर्स, सर्फेस ग्राइंडर्स, यूनिवर्सल मिलिंग मशीनें, कॉपिंग लेथस, थ्रेड वोल्टिंग मशीनें और ड्रिलिंग मशीनें, फोर्जिंग और सहायक पुर्जे। जेवी/विनिवेश के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। पी.टी.एल. के भविष्य के संबंध में बी.आई.एफ. आर. को निर्णय लेना है।

12.09 **भारत यंत्र निगम लि.**ः इसे 1986 में छः सहायक कम्पनियों अर्थात् भारत हैवी प्लेट्स एंव वैसल्स, भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर लि., त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि., तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि., रिचर्डसन एंड क्रूदास लि. (1972) और ब्रिज एंड रूफ कम्पनी लि. के साथ धारक कम्पनी के रूप में निगमित किया गया। कम्पनी का निगमित कार्यालय इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है। बी.आई.एफ.आर. ने भारत पंप और कम्प्रेसर लि., त्रिवेणी स्ट्रक्चर्लस लि. और रिचर्डसन और क्रूदास लि. (1972) के लिए पुनरुत्थान/पुर्नसंरचनात्मक योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। बीएचपीवी, आर एण्ड सी और टीएसपीएल के मामले में विनिवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टीएसएल के मामले में प्रबंधक वर्ग को बदलने/अधिग्रहण/विलयन आदि के लिए संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। बी एण्ड आर के मामले में, वित्तीय पुनर्संरचना विचाराधीन है।

12.10 **भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेडः** 1986 में एक नियंत्रित कम्पनी के रूप में इसकी संस्थापना की गई जिसमें सात सहायक कम्पनियां अर्थात् बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि., (बीएससीएल) जैसप एण्ड कम्पनी लि., (जे.सी.एल.), ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि., (बी.सी.एल.) भारत वैगन और इंजीनियरी कम्पनी लि., (बी.डब्ल्यू.ई.एल.) भारत प्रोसेसिंग और मैकेनिकल इंजीनियर्स लि., (बीपीएमईएल) और बी.बी.जे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. शामिल हैं। इसका निगमित कार्यालय

कलकत्ता में है। बी.आई.एफ.आर. ने ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि., बर्न स्टैण्डर्ड कं. लि. (इसकी सहायक कम्पनियों सहित) और जैसप एण्ड कम्पनी लि. के लिए पुनरुत्थान/पुनर्गठन योजनाओं की स्वीकृति दी है। ये योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। भारत प्रोसेस एण्ड मकेनिकल इंजीनियरिंग कं. लि.(बी.पी.एम.ई.एल.) और इसकी सहायक कम्पनी वेहबर्ड इण्डिया लि. (डब्ल्यू.आई.एल.) को बंद कर दिया गया है और कम्पनियों को समाप्त किया जा रहा है। आर.बी..एल.,जो बी.एस.सी.एल. की एक सहायक कम्पनी है, और डब्ल्यू.आई.एल. के सभी कर्मचारियों ने वीएसएस/वीआरएस के तहत सेवानिवृत्ति ले ली है और उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है। घाटे वाली सात रिफैक्टरी इकाईयों और बी.एस.सी.एल. के जेलिंद्यम यार्ड को बंद कर दिया गया है। भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स जो बीएससीएल को एक सहायक कम्पनी है, को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। बीबीवीएल के सभी कर्मचारियों को वीआरएस के तहत अलग कर दिया गया है। बीडब्ल्युईएल, बीसीएल, बी.बी.जे और बीएससीएल के मामले में विनिवेश प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। जेसाप एंड कं. के मामले में विनिवेश पूरा हो गया है।

12.12 **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि.**: यह 1970 में स्थापित की गई थी। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य भारत और विदेश में टर्न की आधार पर औद्योगिक और अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित आपूर्ति और स्थापना सम्बन्धी गतिविधियों के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उपलब्ध प्रौद्योगिकी और उत्पादन सम्बन्धी सुविधाओं तथा संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। सरकार द्वारा अनुमोदित एक पुनर्संरचनात्मक योजना कार्यान्वित की गई है।

12.13 **भारत अर्थ मूवर्स लि.**: आर एंड डी विस्तार के लिये भारत अर्थ मूवर्स लि. (रक्षा मंत्रालय के तहत सरकारी उद्यम) को सहायता के लिए प्लान इक्विटी मुहैया कराती है।

12.14 **राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स इन्डस्ट्री लि.**: राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लि., जयपुर को वर्ष 1981 में इलेक्ट्रानिक मिल्क टेस्टरों के विनिर्माण के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मैसर्स इन्स्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा एवं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. (रिको) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। रील एक मिनी रत्न कंपनी है तथा ग्रामीण इलेक्ट्रानिक्स, गैर परम्परागत उर्जा प्रणालियों तथा दूरसंचार तकनीकी के क्षेत्र में अपनी नेतृत्वता बनाये रखने के लिये प्रयासरत है।

12.16 **हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.** - देश में इस की स्थापना 1970 में लुगदी और कागज तथा अखबारी कागज के कारखानों की स्थापना करने के लिए की गई थी। इस की 2 इकाईयां और 3 सहायक कम्पनियां है। एक पुनर्संरचनात्मक योजना विचाराधीन है। इस की घाटा देने वाली सहायक कम्पनियां मंड्या नेशनल पेपर मिल्स लि. को आई.डी.अधिनियम के तहत बंद कर दिया गया है और अब समाप्त होने जा रही है।

12.17 **हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेडः** इसे मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से 1970 में निगमित किया गया था। कंपनी का प्रमुख उद्देश्य देश में नये पल्प/पेपर न्यूजप्रिंट मिलों की स्थापना करना था।

12.18 **नेपा लि.**: इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। यह केवल न्यूजप्रिंट का उत्पादन करता है। विनिवेश योजना अब तक सफल नहीं हुई है।

12.19 **हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.**: इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। यह कम्पनी नमक और ब्रोमीन के उत्पादन और बिक्री करने के काम में लगी हुई है। इसकी एक सहायक कम्पनी है जिसका नाम सांभर साल्ट्स लिमिटेड है।

12.20 **हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि.**: यह कम्पनी 1960 में निगमित की गई थी। कम्पनी संवेदनशील फोटो फिल्म, सिने पाजिटिव (काली और सफेद), सिने फिल्म ध्वनि निगेटिव, चिकित्सा संबंधी एक्सरे फिल्मों आदि का निर्माण कर रही है। संचित हानियों के कारण इसे बी.आई.एफ.आर. के विचार हेतु भेजा गया है। कम्पनी की पुनरुत्थान योजना पर विचार किया जा रहा है।

12.21 **भारतीय सीमेंट कारपोरेशन लि.**: यह 1965 में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य देश में सीमेंट के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र में सीमेंट कारखानों की स्थापना करना है। इसके 3 प्रचालनात्मक और 7 गैर प्रचालनात्मक एकक है। संचित हानियों के कारण यह बी.आई.एफ.आर. के संदर्भाधीन है। सी.सी.आई. की सभी इकाईयों को बेचे जाने का प्रस्ताव है और प्रक्रिया चल रही है।

12.22 **सार्वजनिक उद्यमों की निरन्तर व्यवहार्यता के लिए निर्णायक सन्तुलित निवेशः** विभाग के अन्तर्गत अन्य सार्वजनिक उद्यमों के पक्ष में सरकारी स्वीकृतियों पर आधारित मुख्यतया पूंजी निवेशों के लिए निधियों की उनकी आवश्यकता के अनुसार नई सेवा/सेवा के नए लिखित दस्तावेज के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक मुश्त प्रावधान अनुवर्ती रूप में पुनर्विनियोजित किया जाएगा।

12.23 **सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में वृद्धि, संशोधन एवं प्रतिस्थापन योजनाः** विभाग के अधीन अन्य सरकारी उद्यमों के पक्ष में उनकी निधियों की जरूरत के अनुसार बाद में पुनर्विनियोजित किए जाने वाले एकमूश्त प्रावधान की आवश्यकता मुख्यतः नई सेवा/नई सेवा साधन के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, सरकारी अनुमोदनों पर आधारित वृद्धि संशोधन एवं प्रतिस्थापना योजना के लिए है।